न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

(195)

R 1338-I-17

अपील प्रकरण क्र. /2017

1. रामबाई पत्नी स्व. रामशिया, निवासी– ग्राम गुलीडॉड़ थाना बिजुरी, तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)
2. अरूण,
3. वरूण,
4. सुरेन्द्र, तीनों पिता स्व. रामशिया,
5. मुन्नी पत्नी नागेन्द्र पुत्री स्व. रामशिया, समस्त निवासीगण– अमलई थाना भालूमाड़ा तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र)

––अपीलार्थीगण

विरूद्ध

रामेश्वर प्रसाद (फौत) द्वारा वारिसान–

1. विद्या शर्मा बेवा रामेश्वर प्रसाद, निवासी– सामतपुर, गुरूद्वारा रोड, रामजानकी मंदिर के पास, अनूपपुर तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
2. काशीप्रसाद पुत्र रोहणी प्रसाद,
3. जानकी देवी पुत्र रोहणी प्रसाद, दोनों निवासीगण– ग्राम अमलई, थाना भालूमाड़ा, तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
4. फूलमती बेवा रामसुजान, निवासी– अमलई, थाना भालूमाड़ा, तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

––––प्रत्यर्थीगण

<u>न्यायालय कमिश्नर महोदय, शहडोल संभाग शहडोल, द्वारा प्रकरण क्रमांक 37/ए–74/2016–17 में पारित आदेश पारित दिनांक 21/03/2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35 (4) के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

अपीलार्थीगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:</u>

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निग0 1338–एक/17 जिला –अनूपपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
22–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री विनोद भार्गव द्वारा यह निगरानी आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण कमांक 37/अ–74/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 21.3.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2– मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क किया गया है कि रामबाई का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकी और वह अपने अधिवक्ता पर निर्भर रही, लेकिन आयुक्त शहडोल द्वारा अपने आदेश में लेख किया है कि रामबाई के अतिरिक्त चार अन्य और आवेदकगण है उनमें से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही संचालित प्रकरण की जानकारी अपने अधिवक्ता से प्राप्त की इसके अतिरिक्त आयुक्त शहडोल द्वारा यह भी लेख किया है कि प्रकरण	

में कुछ पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति संबंधी दस्तावेज की छाया प्रति दिनांक 28.2.11 को प्रस्तुत कर प्रकरण समाप्त किये जाने की प्रार्थना की गई है। इन सब परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुये आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण कमांक 37/अ–74/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 21.3.17 उचित प्रतीत होता है इसलिये आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। अतएव आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है।

सदस्य